मुन्तकिली प्रकरण सं0 19/2015 अनुवानी 1–गोपाल पुत्र गणपतसिंह जाति नायक नि0 20 एमएल बी तह0 श्रीगंगानगर 2–नथूराम पुत्र नंदराम बनाम 1–सोहनलाल पुत्र बुधराम जाति नायक नि0 रामसरा जाखड़ान तह0 सूरतगढ़ 2–कलावती पुत्री बुधराम 3–मायादेवी पुत्री माडूराम 4–कमलादेवी पुत्री माडूराम 5–सुमेस्ता पुत्री माडूराम 6–नंदराम पु माडूराम 7–मंजूदेवी 8–कृष्णलाल 9–मायादेवी 10–रिछपाल 11–नैनाराम 12–सुमनदेवी 13–तहसीलदार गंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

14.10.2015

प्रार्थीगण के अभिभाषक श्री सुभाष मिढा उपस्थित है। अप्रार्थी सं0 1ता 12 के मु0 आम बुधराम के अभिभाषक श्री ओ.पी.बतरा उपस्थित है। उभय पक्ष की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थीगण के अभिभाषक श्री सुभाष मिढ़ा का कथन था कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीगंगानगर के न्यायालय में सोहनलाल आदि बनाम गोपाल आदि धारा 183 बी आरटीए का मामला लंबित है। अप्रार्थीगण स्थानीय विधायक के जानकार है इस प्रकार अप्रार्थीगण राजनैतिक प्रभाव वाले है और पत्रावली में बहस होकर दिनांक 10.04.2015 आदेश के लिए नियत थी और अप्रार्थी सं0 1 ता 12 को तहसीलदार गंगानगर के चैम्बर में जाते देखा और काफी देर बाद अप्रार्थी सं0 1 बाहर आया तो उसने ऐलानिया कहा कि साहब से बात कर ली है और स्थानीय विधायक से फोन भी करवा दिया है इसलिए फैसला उनके हक में होगा। उनका यह भी कथन है कि अप्रार्थी सं0 13 का व्यवहार भी पक्षपात पूर्ण नजर आया। इसलिए प्रार्थीगण ने दिनांक 15.04.15 को एक प्रा0 पत्र भी पेश किया कि उन्हें निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना नही है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय से उनके प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिलद किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थीगण के मु0 आम बुधराम के अभिभाषक का कथन था कि प्रार्थीगण द्वारा प्रा0 पत्र में लगाये गये आरोप गलत है उनकी किसी भी विधायक के साथ कोई जानकारी व संबंध नही है और अप्रार्थी सोहनलाल कभी भी तहसीलदार के चैम्बर में नही गया। पत्रावली 10.04.15 से निर्णय के लिए लंबित है। प्रार्थीगण ने केवलमात्र प्रकरण को लम्बा करने के लिए यह मुन्तकिली प्रार्थना प्रस्तुत किया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र खाारिज किया जावे।

मैने दोनो पक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली तथा तहसीलदार श्रीगंगानगर के प्रतिवेदन दिनांक 01.05.2015 का अवलोकन किया तो पाया कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण सं0 6/2014 अनवानी सोहनलाल वगैरा बनाम गोपालराम वगैरा विचाराधीन है जिसमें दिनांक 26.03.2015 को बहस सुनी जाकर दिनांक 10.04.2015 आदेश के लिए नियत की गई। तब से पत्रावली आदेश के लिए लंबित है। दिनांक 21.04.2015 को यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र इस आधार पर पेश हुआ है कि तहसीलदार श्रीगंगानगर पर अप्रार्थीगण का राजनैतिक प्रभाव है इसलिए उन्हे निष्पक्ष न्याय नही मिलेगा। किसी प्रकरण को मुन्तकिल करवाने के लिए ऐसा कोई ठोस आधार होना चाहिए जिससे प्रतीत हो कि अगर वास्तव प्रकरण को मुन्तकिल नही किया गया तो प्रार्थीगण को निष्पक्ष न्याय नही मिलेगा। राजनैतिक प्रभाव का आरोप साधारण प्रकृति का है जो कभी भी किसी भी समय किसी पर लगाया जा सकता है। ऐसे आरोपो के आधार पर किसी भी प्रकरण का निस्तारण होना संभव नही होगा।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

19/15 जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर

B3/2

चूंकि प्रार्थीगण द्वारा मुकदमा मुन्तकिली के लिए लगाया गया उक्त आरोप साधारण प्रकृति का है जो मुकदमा मुन्तकिली का कोई ठोस आधार नही बनाता है। इसलिए यह मुकदमा मुन्तकिली प्रा0 पत्र खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का यह मुकदमा मुन्तकिली प्रा0 पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार श्रीगंगानगर को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हा

2023/28-10-15

यह आदेश आज दिनांक 14.10.2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी.सी.किशन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर